

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/668

13.11.2025

प्रति
प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/
सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: मंत्रिमंडल ने 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन और 20,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दे दी है, जो ब्याज समकरण योजना (आईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) जैसी प्रमुख निर्यात संवर्धन योजनाओं को समेकित करेगा।

मिशन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. इस मिशन के अंतर्गत सरकार ने दो उप-योजनाएँ शुरू कीं:
एक। निर्यात प्रोत्साहन - ब्याज अनुदान, निर्यात फैक्ट्रिंग, संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण वृद्धि सहायता के माध्यम से व्यापार वित्त को बढ़ावा देना।
बी। निर्यात दिशा - निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग, और व्यापार मेलों में भागीदारी, भंडारण और रसद, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति, व्यापार खुफिया और क्षमता निर्माण पहल में निर्यातकों का समर्थन करना।
2. डीजीएफटी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और सभी प्रक्रियाएं - आवेदन से लेकर संवितरण तक - मौजूदा व्यापार प्रणालियों के साथ एकीकृत एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रबंधित की जाएंगी।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक के संस्थागत ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करने हेतु निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) एमएसएमई को निर्यात ऋण प्रदान करने हेतु सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करेगी।

सदस्य इन प्रेस नोटों को यहां से प्राप्त कर सकते हैं:

निर्यात संवर्धन मिशन

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2189381>

ऋण गारंटी योजना

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2189389>

इन पहलों के संचालन के लिए अधिसूचनाएं संबंधित सरकारी विभागों द्वारा प्रकाशित होने के बाद परिषद अपने सदस्यों को सूचित करेगी।

सादर,
भारती परवे
उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)
प्लेक्सकॉन्सिल